

—तेरह—

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
संख्या : क0नि0-5-3139 / 11-2001-500(121) / 2000 टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 25 मई, 2001
अधिसूचना
आदेश

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 40 के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन बन्धक पत्र के लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से, धनराशि की उस सीमा तक जो पांच लाख रुपये से अधिक हो, छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(टी. जार्ज जोसेफ),
प्रमुख सचिव।

संख्या : क0नि0-5-3139 / 11-2001-500(121) / 2000 टी.सी. तददिनांक :

प्रतिलिपि अंग्रेजी एवं हिन्दी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इसे दिनांक 25 मई, 2001 के असाधारण गजट के भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें, तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियाँ शासन के इस अनुभाग को तथा 100 प्रतियाँ आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 इलाहाबाद के कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(यू0के0एस0 चौहान),
विशेष सचिव।

संख्या : क0नि0-5-3139 / 11-2001-500(121) / 2000 टी.सी. तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर सचिव राजस्व/आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव, बैंकिंग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, योजना भवन।
4. निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, 16 विधानसभा मार्ग, लखनऊ।
5. समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उप/सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।

7. विधायी अनुभाग-1

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(यू0के0एस0 चौहान),
विशेष सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-5

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. K.N.5-3139/11-2001-500(121)/2000 T.C. Dated May 25, 2001 for general information.

No. K.N.5-3139/11-2001-500(121)/2000 T.C.
Lucknow, Dated May 25, 2001

**NOTIFICATION
ORDER**

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty chargeable under clause (b) and (c) of Article 40 of schedule 1-B of the said Act on the instrument of mortgage to the extent of the amount that exceeds rupees five lakh.

By order,
Sd/- Illegible
(T. GEORGE JOSEPH),
Pramukh Sachiv.